UPRB010043842025

न्यायालय अपर जिला जज त्वरित पथ द्वितीय, रायबरेली ।
पीठासीन अधिकारी– (पल्लवी प्रकाश), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – यू.पी.3833**

सिविल प्रकीर्ण सम्बद्ध वाद संख्या 89/2025

रामहर्ष उम्र 71 वर्ष पुत्र स्व.औसान निवासी ग्राम नरेन्द्रपुर परगना व तहसील डलमऊ , जिला रायबरेली.....प्रार्थी/अपीलार्थी

बनाम

हरिनारायण उम्र 56 वर्ष पुत्र रामखेलावन निवासी ग्राम दरीबा परगना व तहसील सदर जिला रायबरेली..... प्रतिपक्षी

1. प्रार्थी /अपीलार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र 11 क अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आपेक्षित आदेश दिनांकित 10.03.2025 ई.की प्रमाणित नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 18.04.2025 ई.को आवेदन प्रस्तुत किया गया । परन्तु आदेश दिनांकित 10.03.2025 ई.में अवर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर में दिनांक 11.03.2025 की तिथि लिख जाने के कारण कार्यालय लिपिक द्वारा फार्मल आर्डर तैयार नही किया एवं दिनांक 01.07.2025 ई.को फार्मल आर्डर बनने के उपरान्त प्रार्थी के अधिवक्ता को दिनांक 03.07.2025 ई.को प्रमाणित नकले प्राप्त हुई है। तदनुपरान्त दिनांक 15.07.2025 ई.को अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को सूचना दिए जाने पर प्रार्थी अविलम्ब अपील तैयार कराकर दाखिल कर रहा है परन्तु प्रकीर्ण अपील योजित करने में विलम्ब कारित हो गया है जिसे न्यायहित में क्षमा किया जाना आवश्यक एवं अपेक्षित है । प्रार्थी द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब कारित नही किया गया है अपितु उपरोक्त परिस्थितिवश हुआ विलम्ब क्षमा किए जाने योग्य है । अतः न्यायहित में प्रकीर्ण सिविल अपील योजित करने में हुआ विलम्ब क्षमा करते हुए प्रकीर्ण सिविल अपील याचिका सुनवाई हेतु अंगीकृत करने की कृपा की जाए।

2. प्रार्थना पत्र के समर्थन में सूची 5ग से मूलवाद संख्या 827/2019,रामहर्ष प्रति हरिनारायण में पारित आदेश दिनांकित 10.03.2025 की प्रमाणित प्रति, फार्मल आर्डर दिनांकित 01.07.2025 की प्रमाणित प्रति ,आधार कार्ड की छाया प्रति दाखिल किया गया है ।

3. विपक्षी की ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी । मौखिक आपत्ति करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थना अत्यन्त विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है । अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए ।

4. उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

5. प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र को शपथ पत्र से समर्थित करते हुए कथन किया गया है कि प्रश्नगत आपेक्षित आदेश दिनांकित 10.03.2025 की प्रमाणित नकल प्राप्त करने हेतु दिं.18.04.2025 को आवेदन प्रस्तुत किया गया ।परन्तु आदेश दिनांकित 10.03.2025 में अवर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर में दिनांक 11.03.2025 की तिथि लिख जाने के कारण कार्यालय लिपिक द्वारा फार्मल आर्डर तैयार नही किया एवं दि. 01.07.2025 को फार्मल आर्डर बनने के उपरान्त प्रार्थी के अधिवक्ता को दि. 03.07.2025 को प्रमाणित नकले प्राप्त हुई है। तदनुपरान्त दिनांक 15.07.2025 को अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को सूचना दिए जाने पर प्रार्थी अविलम्ब अपील तैयार कराकर दाखिल किया है ।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्थाओ के परिप्रेक्ष्य में यह सुस्थापित विधि है कि मियाद अधिनियम के अन्तर्गत मौलिक विधि पर तकनीकी विधि प्रभावी नही है । **ललिता बनाम डी.डी.सी.(इलाहाबाद उच्च न्यायालय)2013(120)पेज 289** में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि विलम्ब की अधिकता बहुत मायने नही रखती है अगर वाद के गुण दोष में दम है तथा मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय अगर न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि पक्षकारो की ओर से प्रार्थना पत्र समय के अन्तर्गत दाखिल करने में विलम्ब हुआ है तथा जिससे पक्षकारो को असुविधा कारित हुई हो तथा दूसरे पक्षकार को जो असुविधा कारित हुई है यदि उसे हर्जे देकर उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है तो ऐसे प्रार्थना पत्र को मात्र लिमिटेशन के आधार पर निरस्त नही किया जाना चाहिए जब तक जिस पक्षकार द्वारा विलम्ब कारित किया गया उसके द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया गया हो वह संतोषजनक ना हो । पुनः न्यायालयो से यह अपेक्षा की गयी है कि वह वादकारियो के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे । प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित आधार सुसंगत एवं संतोषजनक प्रतीत हो रहा है। ऐसी स्थिति में मामले के गुण दोष के आधार पर उचित एवं नैर्सिग न्याय निर्णयन के लिए प्रार्थी/अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र 11 क अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है ।

आदेश

प्रार्थी / अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 11 क अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 500/- रू० हर्जे पर स्वीकार किया जाता है । प्रकीर्ण सिविल अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है । पत्रावली वास्ते प्रकीर्ण सिविल अपील के अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश के कार्यालय को प्रेषित की जाए । पक्षकार दिनांक 09.04.2026 को माननीय जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में उपस्थित हो ।

(पल्लवी प्रकाश)
अपर जिला जज त्वरित पथ
द्वितीय, रायबरेली
जे.ओ.कोड यू.पी. 3833
24.03.2026